उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-2

संख्या- 15/ 2015 /518 ई-2/तेरह-2015-02(अधि0)/2015

लखनऊ :दिनांक: **17** मार्च, 2015

कार्यालय-आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय-11 के अधीन आबकारी सचिव शाखा के आबकारी अनुभाग-1 में कार्यरत/तैनात श्री रामेश्वर प्रसाद, समीक्षा अधिकारी, जिनका मूल वेतन रू0 15,310/- है, को कम्प्यूटर क्रय करने हेतु रू0 30,000/- की धनराशि की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) अग्रिम धनराशि कोषागार से उस समय तक नहीं निकालनी चाहिए जब तक कि उसको वास्तव में व्यय करने की आवश्यकता न हो। स्वीक़त व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम की धनराशि के आहरण से पूर्व प्रपत्र-25 ए में अनुबन्ध भरना होगा। बन्ध पत्र आबकारी अनुभाग-2 में उपलब्ध कराना होगा।

(2) अग्रिम धनराशि का उपभोग किसी भी दशा में किश्त प्रणाली के आधार पर कम्प्यूटर खरीदने में न किया जाय। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2014-15 में 31 मार्च, 2015 से पूर्व अवश्य कर लिया जाय।

(3) यदि कम्प्यूटर के लिये भुगतान किया गया वास्तविक मूल्य अग्रिम राशि का पूरा या कोई भाग उपयोग में नहीं लाया जाता है तो उसे तुरन्त खजाने में लौटाना होगा।

(4) स्वीकृत अग्रिम को एक माह की अवधि के भीतर जिसकी गणना अनुबन्ध पत्र के निस्पादित करने के दिनांक से की जायेगी, अनिवार्य रूप से कम्प्यूटर क्रय करना होगा और उसे प्रपत्र संख्या- 25 में " राज्यपाल उत्तर प्रदेश" के पक्ष में बन्धक रखना होगा। बन्धक कराने के पश्चात उसकी सूचना से अवगत कराना होगा।

(5) स्वीकृत किये जाने वाले व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम पर ब्याज की दर अनन्तिम रूप से 14.0 प्रतिशत होगी, किन्तु नियमित रूप से ऋण /ब्याज के प्रतिदान/भ्रुगतान किये जाने पर ब्याज में 2.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ब्याज की जो दरें अन्तिम रूप से निर्धारित होगी व अग्रिमी को मान्य होगी।

(6) श्री रामेश्वर प्रसाद, समीक्षा अधिकारी को स्वीकृत व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम रू0 30,000/- (रूपये तीस हजार मात्र) की वसूली रू0 1,000/- की दर से 30

Shasnadesh.up.nic.in

समान मासिक किश्तों में की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत अग्रिम की वसूली अग्रिम प्राप्त किये जाने के बाद मिलने वाले वेतन से प्रारम्भ की जायेगी।

(7) श्री रामेश्वर प्रसाद, समीक्षा अधिकारी के पद पर स्थायी हैं।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में वित्त विभाग की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि-आयोजनेत्तर - 204- व्यक्तिगत कम्प्यूटर का क्रय करने के लिये अग्रिम-03-राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय करने हेतु अग्रिम-30 निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

संख्या- 15/ 2015 /518 ई-2/तेरह-2015-02(अधि0)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अनुभाग अधिकारी (लेखा) परिवहन अनुभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊा
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
5- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी, आबकारी अनुभाग-1
6- आबकारी अनुभाग-1
7- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनुसचिव

Shasnadesh.up.nic.in